न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर– 2025/1469

1. रघुनन्दन पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति ब्राहम्ण, निवासी गुप्तेश्वर गेट, तहसील दौसा जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसा, तहसील दौसा, जिला दौसा।
2. रमेश पुत्र गौरीशंकर निवासी गुप्तेश्वर रोड दौसा, जिला दौसा। **(आदेश दिनांक 16.12.2025 द्वारा)**
3. कमलेश कुमार पुत्र गौरीशंकर निवासी गुप्तेश्वर रोड दौसा, जिला दौसा। **(आदेश दिनांक 16.12.2025 द्वारा)**

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 30.04.2025 जो अपील संख्या 20/2022 उनवानी राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियन्ता बनाम रघुनन्दन में आदेश पारित किया गया हैं।

उपस्थित :–

1. श्री प्रदीप कुमार विजय, वकील अपीलान्ट।
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
3. श्री उमेश कुमार गौड, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 29.12.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.04.2025 के खिलाफ दिनांक 17.06.2025 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पटवारी हल्का दौसा कलां की रिपोर्ट दिनांक 05.01.2021 के अनुसार अपीलान्ट श्री रघुनन्दन पुत्र राजेन्द्र कुमार शर्मा निवासी गुप्तेश्वर गेट के पास दौसा द्वारा संवत 2077 में वाके ग्राम दौसा कलां, पटवारी हल्का दौसाकलां के आराजी खसरा नम्बर 2162 कुल रकबा 3.01 है0, किस्म गै0 मु0 सड़क, जो माप में 24 वर्गमीटर सिवायचक भूमि पर पुख्ता दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा, जिला दौसा द्वारा अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसके पश्चात हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसा, जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में अंकित किया गया है कि हाल अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2162 पर अतिक्रमण करके पक्की दुकान व मकानात का निर्माण कार्य किया है, जिसे हटाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर तहसीलदार दौसा ने प्रश्नगत व विवादित आराजी खसरा नम्बर 2162 वाके ग्राम दौसा कलां के संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के उक्त निर्णय दिनांक 03.03.2021 के द्वारा मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश होने से एवं माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के

यहॉ उक्त खसरे के संबंध में प्रकरण विचाराधीन होने से माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में वाद के अंतिम निर्णय होने तक उक्त प्रकरण में धारा 91 के तहत कोई भी कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2021 को पारित किये गये। जिससे व्यथित होकर हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के यहां पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2021 निरस्त किया गया तथा तहसीलदार दौसा को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया है कि वह प्रकरण को पुनः नंबर पर लेकर नियमित रूप से सुनवाई करे एवं उप जिला कलक्टर दौसा के प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा में निर्णय पारित करने के उपरान्त नियमानुसार निर्णय पारित किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2025 पारित किये गये है।

3. जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.04.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.04.2025 को निरस्त किये जाने तथा तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक 24.12.2021 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध प्रकिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बिना दस्तावेजात को देखे बिना व बिना तहसीलदार की जांच रिपोर्ट व दावे में प्रस्तुत जवाब को देखे बिना व अपीलान्ट उक्त दुकान, मकान के मालिक नहीं होने के बावजूद अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुने बिना तथा दस्तावेजात को देखे बिना व उक्त निर्णय जिसकी अपील की गयी थी वह अंतिम निर्णय नहीं होने के बावजूद और अपील योग्य नही होने के बावजूद उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करने में कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। कानूनन अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील स्पष्टतया मयाद बाहर थी और कानूनन जब तक मयाद के बिन्दु को तय नहीं कर दिया जाता तब तक मैरिटस पर निस्तारण नही किया जा सकता था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मयाद के बिन्दु पर कोई निर्णय पारित किये बिना और मेन्डेटरी प्रोविजन का उलंघन करके और मैरिट पर अपील का निर्णय करने में कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यही कहा था कि उप जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष विचाराधीन वाद के अंतिम निर्णय होने के बाद पत्रावली पुनः प्रस्तुत हो और वाद के निर्णय तक पेन्डिग की थी और जिला कलेक्टर दौसा ने भी उपजिला कलेक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के बाद ही निर्णय करने का निर्देश देकर और पत्रावली को रिमान्ड किया है जिससे यह स्पष्ट है कि पत्रावली को अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष चलाने का कोई औचित्य ही नही है इसलिये निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उक्त विवादित भूमि जगदीश नारायण सिद्ध के परिवार के कब्जे व स्वामित्व की भूमि के उत्तर की ओर गुप्तेश्वर रोड है और गुप्तेश्वर रोड का सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 867 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा था किन्तु कानून के विपरीत तरीके से सेटलमेन्ट विभाग ने खसरा नंबर 867 जिसका रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा ही था उसे कानून के विपरीत तरीके से बढाकर 3.0100 है0 कर दिया तथा नक्शे को भी बडा कर दिया

इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग को गुप्तेश्वर रोड के सेटलमेन्ट पूर्व के खसरा नंबर 867 का रकबा बढाने का कोई अधिकार नही था और ना ही नक्शे में परिवर्तन करने का कोई अधिकार था सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गयी उक्त कार्यवाही अवैध अमान्य व प्रभावशून्य कार्यवाही थी जिसको दुरूस्त करने के लिये सक्षम न्यायालय में दावा पेंन्डिग है और स्टे हो रहा है ऐसी कार्यवाही के आधार पर धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही का कोई अधिकार नही था और कानूनन जब सक्षम न्यायालय मे वाद पेंन्डिग हो तो वाद के निर्णय तक धारा 91 एल आर एक्ट के तहत समरी प्रोसेडिंग की कार्यवाही चल भी नही सकती थी और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा ने उचित रूप से दावे के निर्णय तक पत्रावली को पेन्डिग किया था किन्तु उक्त आदेश की अपील को जिला कलेक्टर दौसा ने आंशिक स्वीकार करने में कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है।

श्रीमान तहसीलदार दौसा ने उप जिला कलैक्टर दौसा के समक्ष विचाराधीन दावा अनुवानी मंदिर श्री महादेव जी बनाम राजस्थान सरकार मे प्रस्तुत अपनी जॉच रिपोर्ट में स्पष्ट बताया है कि ग्राम दौसा कलां में स्थित सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 892 रकबा 6 बिस्वा खसरा नंबर 893 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा थे जिसकी खातेदारी मुताबिक जमाबंदी संवत 2032 लगा0 2035 अनुसार रामगोपाल पुत्र बिहारीलाल, जगदीश नारायण पुत्र माधोलाल जाति ब्राहम्ण साकिन देह दर्ज रिकार्ड थी। और उक्त रिपोर्ट में यह भी बताया कि खसरा नंबर 892 रकबा 6 बिस्वा खसरा नंबर 893 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा से सेटलमेन्ट में मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नंबर 2219 रकबा 0.05 है० खसरा नंबर 2220 रकबा 0.29 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 है0 बनाये गये है जबकि 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि के मैट्रिक प्रणाली में 0.47 है0 बनते है इस प्रकार वर्तमान रिकार्ड में लगभग 0.13 है0 का अन्तर रहता है। वर्तमान खसरा नंबर 2219 व 2220 के दोनों तरफ पी डब्लयू डी की सड़क में अवाप्त हुई हो तो कम हो सकती है। सेटलमेन्ट विभाग ने वर्तमान रिकार्ड में 13 एयर भूमि कम अंकन की गयी है। भूमि सड़क में अवाप्त हुई या नही इस बाबत् पी डब्लयू डी विभाग से रिकार्ड लिया जाना उचित होगा सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 892, 893 के उत्तर एवं पूर्व में पी डब्लयू डी की सड़क है। तहसीलदार ने अपनी जॉच रिपोर्ट में यह भी बताया है कि एकीकरण में खसरा नंबर 1978 रकबा 6 बिस्वा एवं 1980 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा के मिलान क्षेत्रफल अनुसार 892 रकबा 6 बिस्वा एवं 893 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा बने एवं खसरा नंबर 892 से वर्तमान खसरा नंबर 2219 रकबा 0.05 है० एवं खसरा नंबर 893 से वर्तमान खसरा नंबर 2220 रकबा 0.29 है० बने है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार क्षेत्रफल 0.13 है० कम है। उक्त क्षेत्रफल जिस खसरा नंबर में मिलाया गया है। इस बाबत मिलान क्षेत्रफल में अंकित नही किया गया है एवं गत नक्शा जिला कार्यालय एवं तहसील कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण वर्तमान एवं गत नक्शे का मिलान नही किया जा सकता हैं उक्त जॉच रिपोर्ट से यह स्पष्ट था कि अपीलान्ट के बुर्जुगों की भूमि को कम करके और रेस्पोडेन्ट के नाम गलत तरीके से अंकन किया है जिसको दुरूस्त करने के लिये समक्ष न्यायालय में दावा पेडिंग था। और तहसीलदार जी ने दावे के निर्णय तक धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही को सही पेंन्डिग किया था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजात को देखे बिना निर्णय पारित कर अपील को आंशिक स्वीकार कर रिमान्ड करने में कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसा के अधिशाषी अभियन्ता श्री पी. के. जोशी ने अपने पत्र क्रमांक 1651 दिनांक 12.07.2019 के जरिये उपखण्ड अधिकारी दौसा को लिखा कि आप द्वारा भूमि खसरा नंबर 2219, 2220 सडक हेतु विस्तृत रिपोर्ट चाही गयी है। विभाग में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार इस विभाग द्वारा उक्त

खसरा नंबर 2219 व 2220 से संबधित भूमि अवाप्त नही की गयी है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि अपीलान्ट की भूमि साबिका खसरा नंबर 892, 893 कुल रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा में से कोई भूमि एक्वायर नही की गयी है और अपीलान्ट के बुर्जुगों की भूमि मे से भूमि गलत तरीके से कम करके रेस्पोडेन्ट के नाम अंकन की गयी है किन्तु फिर भी जिला कलेक्टर महोदय दौसा ने अपील को आंशिक स्वीकार करने मे कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है। गुप्तेश्वर रोड पर गुप्तेश्वर दरवाजे से लेकर गुप्तेश्वर मंदिर तक जगदीश नारायण सिद्ध व उसके परिवार जन के मकान की सीध में आर पार मकानात दुकानात बनी हुई जितनी जगदीश नारायण सिद्ध व उसके परिवार जन के मकान के पास रोड के मध्य से दूरी है उतनी ही दूरी गुप्तेश्वर मंदिर तक बने हुए समस्त मकानात दुकानात की है लेकिन उक्त किसी भी व्यक्ति को नोटिस नही दिया है मात्र दुर्भावना से जगदीश नारायण सिद्ध व उसके परिवार जन व किरायादार अपीलान्ट की दुकानों के बाबत उनके किरायेदारों को नोटिस दिया है जो दुर्भावना से दिया हुआ होना स्पष्ट सिद्ध करता है जिस पर तहसीलदार जी ने दावे के निर्णय तक कार्यवाही को सही पेन्डिग किया था किन्तु फिर भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपील को आंशिक स्वीकार करने में कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने जो अपील पेश कि थी उस अपील की याचना में निर्णय दिनांक 27.05.2022 को निरस्त करने की याचना चाही थी किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने चाही गयी याचना के विपरीत दिनांक 24.12.2021 व दिनांक 26.12.2021 को निरस्त करने में कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट उक्त भूमि के मालिक नही है कानूनन 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही मालिक के खिलाफ भी कि जा सकती है अपीलान्ट किरायादार है उनके खिलाफ कार्यवाही चल भी नही सकती थी किन्तु फिर भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपील को स्वीकार करने में कानूनी गलती की है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 30.04.2025 को निरस्त फरमाकर तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक 24.12.2021 को यथावत रखने का आदेश फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा, जिला दौसा की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का दौसा कलां द्वारा तैयार मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 05.01.2021 के अनुसार अपीलान्ट श्री रघुनन्दन पुत्र राजेन्द्र कुमार शर्मा निवासी गुप्तेश्वर गेट के पास दौसा द्वारा संवत 2077 में वाके ग्राम दौसा कलां, पटवारी हल्का दौसाकलां के आराजी खसरा नम्बर 2162 कुल रकबा 3.01 है0, किस्म गै0 मु0 सड़क, जो माप में 24 वर्गमीटर सिवायचक भूमि पर पुख्ता दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा, जिला दौसा द्वारा अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसके पश्चात हाल

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसा, जिला दौसा ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया है कि हाल अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2162 पर अतिक्रमण करके पक्की दुकान व मकानात का निर्माण कार्य किया है, जिसे हटाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

जिस पर तहसीलदार दौसा ने प्रश्नगत व विवादित आराजी खसरा नम्बर 2162 वाके ग्राम दौसा कलां के संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के उक्त निर्णय दिनांक 03.03.2021 के द्वारा मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश होने से एवं माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के यहॉ उक्त खसरे के संबंध में प्रकरण विचाराधीन होने से माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में वाद के अंतिम निर्णय होने तक उक्त प्रकरण में धारा 91 के तहत कोई भी कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2021 को पारित किये गये। जिससे व्यथित होकर हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के यहां पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2021 निरस्त किया गया तथा तहसीलदार दौसा को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया है कि वह प्रकरण को पुनः नंबर पर लेकर नियमित रूप से सुनवाई करे एवं उप जिला कलक्टर दौसा के प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा में निर्णय पारित करने के उपरान्त नियमानुसार निर्णय पारित किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2025 पारित किये गये।

अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में विवाद खसरा नम्बर 2162 ग्राम दौसा कलां किस्म गै0मु0 सडक पर अतिक्रण के संबंध में है। अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार दौसा द्वारा उक्त खसरे के संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 03.03.2021 के स्थगन आदेश एवं उप जिला कलक्टर दौसा के यहां विचाराधीन प्रकरण विचाराधीन होने के कारण दोनों न्यायालय में अंतिम निर्णय होने तक कोई भी कार्यवाही नहीं करने का निर्णय पारित किया गया है। हमने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश का अवलोकन किया। जिसमें उनके द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर विधिसम्मत आदेश दो माह में पारित करने के निर्देश उप जिला कलक्टर दौसा को प्रदान किये गये थे, एवं तब तक वर्तमान खसरा नम्बर 2162 पर मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया गया था। उप जिला कलक्टर दौसा द्वारा दो माह में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में आदेश पारित नहीं किये गये है।

तहसीलदार दौसा द्वारा अपने जवाब में यह कथन किया गया है कि उनके द्वारा कार्यवाही को स्थगित किया गया है ना कि धारा 91 की कार्यवाही को निरस्त किया गया है। उनकी आदेशिका से भी प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है, किन्तु उनके द्वारा आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि दोनों न्यायालय के अंतिम निर्णय होने तक कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उप जिला कलक्टर दौसा को अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय तक ही स्थगन आदेश प्रदान किये गये थे। उप जिला कलक्टर दौसा के स्थगन आदेश का निर्णय के बाद राजस्व मण्डल का निर्णय स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। तहसीलदार दौसा द्वारा प्रकरण को लंबित रखा जाना न्यायोचित नहीं होने के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जाकर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2021 निरस्त किये जाकर तहसीलदार दौसा को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया है कि वह प्रकरण को पुनः नंबर पर लेकर नियमित रूप से सुनवाई करें एवं उप जिला कलक्टर दौसा के प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा में निर्णय पारित करने के उपरांत नियमानुसार निर्णय पारित करने के अपीलाधीन आदेश 30.04.2025 पारित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2025 में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.04.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर